भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4684

दिनांक 31.03.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं

4684. श्री एन. रेड्डप्प:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पिछले वर्ष अर्थात 2021-22 में बायो-गैस/कंप्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) संयंत्रों के निर्माण के लक्ष्यों को पूरा किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) बायो-गैस संयंत्र का कौन सा मॉडल है जिसे योजना के लिए आबंटित निधि से अधिकतम धनराशि और सहायता प्राप्त हुई है; और

(ङ) बायो-गैस संयंत्रों के विभिन्न मॉडलों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)] के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी घटकों के लिए समेकित विधि से निधियां जारी की जाती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार इन निधियों का उपयोग करने की छूट है। पिछले पांच वर्षों के दौरान एसबीएम(जी) के अंतर्गत, जारी की गई केन्द्रीय हिस्से की निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) से (ङ): गोबरधन, मवेशियों के अपशिष्ट, रसोई के कचरे, फसल अपशिष्ट और बाजार के कचरे सहित जैविक कचरे को बायो-गैस तथा बायो-घोल में बदल कर गांवों में स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा गांव वालों के जीवन में सुधार लाने के लिए एसबीएम(जी) चरण-II के अंतर्गत एक अभिन्न हिस्सा है। एसबीएम(जी) चरण-II के अंतर्गत, कार्यक्रम की संपूर्ण अवधि अर्थात वर्ष 2024-25 तक के लिए सामुदायिक और क्लस्टर मॉडल बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना करने के लिए प्रति जिला 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है। चूंकि, यह एक मांग आधारित कार्यक्रम है, इसलिए राज्यों के लिए निर्धारित वर्ष-वार लक्ष्य नियत नहीं किए जाते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा अनुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 के दौरान गोबरधन के अंतर्गत 251 बायो-गैस संयंत्र पूर्ण कर लिए गए हैं। इनमें से अधिकांश संयंत्र सामुदायिक मॉडल बायो-गैस संयंत्र हैं।

***

अनुबंध

दिनांक 31.03.2022 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4684 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान एसबीएम(जी) के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय हिस्से की निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.00	30.72	4.70	0.00	7.07
2	आंध्र प्रदेश	342.21	1219.88	1381.11	248.11	212.27
3	अरुणाचल प्रदेश	65.09	137.30	51.31	61.01	15.28
4	असम	747.58	1171.95	882.09	545.97	276.81
5	बिहार	131.86	875.92	2943.69	1867.38	88.56
6	छत्तीसगढ़	584.46	677.83	448.50	138.98	68.43
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.00	19.68	0.84	0.00	1.65
8	गोवा	0.00	0.52	0.00	0.26	0.23
9	गुजरात	751.23	466.04	192.92	238.45	312.56
10	हरियाणा	68.79	39.66	70.24	115.39	80.60
11	हिमाचल प्रदेश	117.30	20.68	0.00	33.61	23.62
12	जम्मू एवं कश्मीर	59.51	202.38	278.37	139.58	24.89
13	झारखंड	455.46	698.66	753.02	473.57	153.31
14	कर्नाटक	419.56	983.39	739.73	219.80	126.31
15	केरल	196.28	59.36	12.47	141.40	103.73
16	लद्दाख					2.71
17	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मध्य प्रदेश	1210.77	1380.61	590.94	242.65	291.48
19	महाराष्ट्र	528.94	1235.34	1352.92	396.97	276.75
20	मणिपुर	54.49	77.02	75.06	55.62	17.51
21	मेघालय	75.70	153.89	0.00	37.13	65.41
22	मिजोरम	10.98	46.24	12.73	10.78	14.05
23	नागालैंड	64.12	71.41	59.93	39.49	22.17
24	ओडिशा	863.65	457.02	1367.62	2044.36	58.92
25	पुदुचेरी	0.00	50.25	0.00	2.00	0.11
26	पंजाब	197.02	283.48	0.00	97.18	65.94
27	राजस्थान	777.30	981.51	865.88	390.00	229.26
28	सिक्किम	7.04	12.98	1.96	5.44	6.15
29	तमिलनाडु	537.02	865.94	760.99	137.80	162.89
30	तेलंगाना	135.72	481.94	515.05	119.93	46.86
31	त्रिपुरा	24.98	24.00	116.93	81.06	24.33
32	उत्तर प्रदेश	853.33	3155.37	7414.07	2249.94	800.32
33	उत्तराखंड	348.05	146.69	65.80	50.23	50.69
34	पश्चिम बंगाल	640.50	583.23	534.25	808.18	261.31
	कुल	**10271.96**	**16610.88**	**21493.13**	**10992.28**	**3892.17**

*लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र ने एसबीएम(जी) के अंतर्गत निधियों की मांग नहीं की है।